भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2350

दिनांक 06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का मुद्दा

2350. श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसी) द्वारा वर्ष 2023-2024 में कितनी बैठकें की गई हैं;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के मुद्दों का एनएमसी द्वारा समाधान ढूंढा जा रहा है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजे के विलंब से भुगतान करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसे विस्थापित किसानों को नवीनतम कारण के अनुसार दिए जाने वाले ब्याज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डा. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): महोदय, राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसी) की 10वीं बैठक सचिव, भूमि संसाधन की अध्यक्षता में भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में दिनांक 10 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, पोलावरम सिंचाई परियोजना, उझ बहुउद्देशीय परियोजना और केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी। एनएमसी इन राष्ट्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत आर एंड आर कार्यकलापों की आवधिक रूप से निगरानी कर रही है।

(ग) और (घ): भूमि अधिग्रहण का कार्य केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस विभाग द्वारा प्रशासित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत किया जाता है। वर्ष, 2013 के उक्त अधिनियम के प्रावधानों को उक्त अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत परिभाषित "समुचित सरकार" द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 80 में यह उपबंध है कि जब ऐसे प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या उसके पूर्व संदत्त या जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर अधिनिर्णीत रकम का,ऐसा कब्जा लेने के समय से उस समय तक जब उसका इस प्रकार संदाय या उसे जमा नहीं करा दिया जाता है; नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित संदाय करेगा: परंतु यदि ऐसे प्रतिकर या उसके किसी भाग का, उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर संदाय या उसे जमा नहीं किया जाता है, तो प्रतिकर की ऐसी रकम या उसके भाग पर,जिसको ऐसी समाप्ति की तारीख के पूर्व संदत्त या जमा नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज संदेय होगा।

****